

20/09/2024

09 पञ्जावली पेश हुई। वकील जयदी उपा। वकील जयदी बहस हेतु समय मांगते हैं बहस हेतु 09/10/2024 तक सुबहर 10:00 बजे अदालत आकर प्रत्यक्ष बहस व जयदी बहस 2 के जवाब हेतु दिनांक 17/10/2024 को पेश हो।

17/11/2024 आज श्रीमान ए.सी.एम./एस.डी.एम साहब ~~21/11/24~~ पर हैं। पेशी इल्लत को जाकर पञ्जावली नारीख 15/11/24 को पेश हो।

15/01/2024 आज श्रीमान ए.सी.एम./एस.डी.एम साहब ~~15/01/24~~ पर हैं। पेशी इल्लत को जाकर पञ्जावली नारीख 18/01/24 को पेश हो।

18/02/2024 आज श्रीमान ए.सी.एम./एस.डी.एम साहब ~~18/02/24~~ पर हैं। पेशी इल्लत को जाकर पञ्जावली नारीख 22/02/24 को पेश हो।

22/05/2024 आज श्रीमान ए.सी.एम./एस.डी.एम साहब ~~22/05/24~~ पर हैं। पेशी इल्लत को जाकर पञ्जावली नारीख 19/07/24 को पेश हो।

19/07/2024 आज श्रीमान ए.सी.एम./एस.डी.एम साहब ~~19/07/24~~ पर हैं। पेशी इल्लत को जाकर पञ्जावली नारीख 23/09/24 को पेश हो।

23/09/2024 पञ्जावली पेश हुई। वकील जयदी उपा। वकील जयदी बहस हेतु समय मांगते हैं बहस हेतु 09/10/2024 तक सुबहर 10:00 बजे अदालत आकर प्रत्यक्ष बहस व जयदी बहस 2 के जवाब हेतु दिनांक 23/10/24 को पेश हो।

23/10/2024 पञ्जावली आज पेश हुई। वकील जयदी उपस्थित। उपाधी संख्या-2 का जवाब लेंड किया जाता है। उभय पक्ष वकील बहस सुनी गयी। उभय पक्ष बहस एवं

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अस्पाफी निवेदन के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, युक्ति का संतुलन एवं अपुखीप शक्ति प्राप्ति के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं। अतः प्राप्ति का अर्पना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होरु दर्ज नम्बर से कम होना बाड तकमील दाखिल हुफत है।

निर्णय आज दिनांक 23-10-2024 को मेरे ठार लिखा जाकर सरे- इजलास सुनाया गया।

~~A~~ 23/10/24
सहायक कलेक्टर
बाम (फलोदी)

